रामजीलाल उर्फ रमजू पुत्र पून्या जाति मीना निवासी सांथा तहसील महवा जिला दौसा

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महवा

प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा खातेदारी

निर्णय

दिनांक 09.11.2020

वादी के वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सांथा तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 2827 रकबा 59 ऐयर व खसरा नम्बर 2828 रकबा 46 ऐयर कुल किता 2 रकबा 1.05 हैक्टयर राजस्व रिकार्ड में रामजीलाल पुत्र पून्या के नाम खातेदारी में दर्ज है। वादी का सही नाम रामजीलाल उर्फ रमजू है किन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामजीलाल उर्फ रमजू की जगह रमजू पुत्र मिश्रा दर्ज कर दिया गया है। वादी को इस गलती का कभी पता नहीं चला था। रमजू पुत्र मिश्रा नाम का कोई भी व्यक्ति ग्राम सांथा में नहीं है और ना ही पूर्व में था। वादी राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के उदेश्य से बैंक में के॰ सी॰ सी॰ बनवाने हेतु पटवारी हल्का से राजस्व रिकार्ड की नकल लेने गया तो पटवारी हल्का ने बताया कि जमाबंदी में आपका व आपके पिता का नाम गलत दर्ज है। जबकि वादी की अन्य खातेदारी की आराजी में वादी का नाम सही दर्ज हो

छायाप्रति प्रमाणित
रीडर
उपखण्ड अधिकारी महवा

रहा है। वादी दिनांक 25-01-2019 को तहसीलदर महवा के पास दुरूस्ती करवाने हेतु गया तो तहसीलदार महवा ने दुरूस्ती करने से इन्कार कर दिया तथा सक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत करने हेतु कहा। इसलिये वादी को वाद पत्र प्रस्तुत करना जरूरी हुआ है। गलत इन्द्राज के बने रहने से वादी के अधिकारों का हनन हो रहा है। वाद पत्र अन्दर मियाद है तथा वाद पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त हे। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रमजू पुत्र मिश्रा के स्थान पर रामजीलाल उर्फ रमजू पुत्र पून्या दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा क्रे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी का नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित आया तथा जबाब दावा के लिये पर्याप्त अवसर दिये गये किन्तु जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके पश्चात उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

हमने वादी के विद्वान वकील की एकपक्षीय बहस सुनी जिसका मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 20730-2073 के अनुसार ग्राम सांथा तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 2827 रकबा 59 ऐयर व खसरा नम्बर 2828 रकबा 46 ऐयर कुल किता 2 रकबा 1.05 हैक्टयर की खातेदारी रमजू पुत्र मिश्रा जाति मीना सां. देह के नाम में दर्ज है। इसके अलावा खसरा नम्बर 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2170, 2171,2172, 2294, 2295, 2296, 2297, 2299, 2300 कुल किता 16 रकबा 3.80 हैक्टयर की खातेदारी रामजीलाल पुत्र पून्या हि. 1/4 बिना रहन, सजन पुत्र पून्या हि. 1/4 रामफल रामखिलाडी पि. पून्या हि. ब. 1/2 राहिन ए.के.जी.बी. शाखा महवा मुर्तहिन कौम मीना स.देह की खातेदारी में दर्ज है। वादी ने अपने वाद पत्र में अंकित किया है कि वादी का

उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट * महवा (दौसा) *

FOR COPYING FEES ONLY

छायाप्रति प्रमाणित

उपखण्ड अधिकारी महवा

वादी की ओर से अपनी साक्ष्य में परिवार राशन कार्ड संख्या 17340 की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें रामजीलाल पुत्र पून्या मीना निवासी ठण्डी का पुरा सांथा दर्ज है। आधार कार्ड संख्या 6693 2316 0322 में रामजीलाल पुत्र पून्याराम जाति मीना निवासी ठण्डी का पुरा सांथा दर्ज है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र कमांक आरजे/ 10/ 087/ 298002 में भी रामजीलाल पुत्र पून्या अंकित है। इस प्रकार हम यह पाते है कि वादी का सही नाम रामजीलाल पुत्र पून्या है किन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2070–2073 का अवलोकन करते हैं तो पाते है कि आराजी खसरा नम्बर 2827 रकबा 59 ऐयर व खसरा नम्बर 2828 रकबा 46 ऐयर कुलकिता 2 रकबा 1.05 हैक्टयर की खातेदारी में रमजू पुत्र मिश्रा अंकित कर रखा है। जबकि अन्य आराजी खसरा नम्बर 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2170, 2171,2172, 2294, 2295, 2296, 2297, 2299, 2300 कुल किता 16 रकबा 3.80 हैक्टयर की खातेदारी रामजीलाल पुत्र पून्या दर्ज है इससे भी यह प्रमाणित होता है कि वादी का सही नाम रामजीलाल पुत्र पुन्या है। वादी की और से साक्ष्य में स्वयं का शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया है जिससे वादी के वाद तथ्यों की पुष्ठि होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम यह पाते है कि वादी अपनी साक्ष्य से वाद पत्र को प्रमाणित करने में सफल रहा है तथा वादी का वाद डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर ग्राम सांथा तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 2827 रकबा 59 ऐयर व खसरा नम्बर 2828 रकबा 46 ऐयर कुलकिता 2 रकबा 1.05 हैक्टयर की खातेदारी में वादी दर्ज वर्तमान प्रविष्ठि रमजू पुत्र मिश्रा के स्थान पर रामजीलाल उर्फ

छायाप्रति प्रमाणित
रीडर
उपखण्ड अधिकारी महवा

रमजू पुत्र पून्या जाति मीना निवासी सांथा तहसील महवा दर्ज किया जावे। तदनुसार डिकी जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.11.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि विजय)
उपखण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)

छायाप्रति प्रमाणित
रीडर
उपखण्ड अधिकारी महवा